जनपद बिजनौर

प्रेस नोटः- थाना नहटौर **दिनांक 07.06.2024**

थाना नहटौर क्षेत्रान्तर्गत सडक दुर्घटना में 02 युवको की दुखद मृत्यु हो जाने व स्थानीय पुलिस द्वारा की जा रही वैधानिक कार्यवाही के संबंध में।

अवगत कराना है कि आज दिनांक 07.06.2024 को स्प्लेण्डर बाइक पर सवार 02 युवक (दोस्त) 1- भूरे पुत्र इरफान अहमद 2- इरफान पुत्र हामीद निवासीगण ग्राम नारायणी थाना कोतवाली देहात जनपद बिजनौर, नहटौर से कोतवाली देहात जा रहे थे, तभी समय 18.45 बजे ग्राम सीकरी से पहले उनकी बाइक ने सडक किनारे खडी टैक्ट्रर ट्राली में पीछे से टक्कर मार दी, जिससे बाइक पर सवार उपरोक्त दोनो युवक घायल हो गये।

सूचना पर स्थानीय पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची तथा घायलो को CHC नहटौर भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों द्वारा दोनों घायलो को मृत घोषित कर दिया गया। स्थानीय पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

प्रेस नोटः- जनपद बिजनौर **दिनांकः- 07.06.2024**

"ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के क्रम में थाना किरतपुर पुलिस एवं अभियोजन विभाग द्वारा की गई प्रभावी पैरवी से माननीय न्यायालय द्वारा पॉक्सो अधिनियम से संबंधित अभियुक्त को 06 वर्ष के कठोर कारावास व 25,000/- रूपये के अर्थदण्ड से किया दण्डित।

कार्यवाहीः–

अवगत कराना है कि दिनांक 20.04.2023 को वादी द्वारा तहरीर दी कि अभियुक्त शारिक पुत्र राशिद निवासी ग्राम रगडपुरा थाना किरतपुर जनपद बिजनौर द्वारा वादी की बेटी के साथ गलत काम करने का प्रयास किया गया । इस संबंध में थाना किरतपुर पर मु0अ0सं0 155/23 धारा 376/511 भादवि, धारा 7/8 पॉक्सो अधिनियम अधिनियम व 3(2)(V) एससी/एसटी एक्ट बनाम शारिक उपरोक्त पंजीकृत किया गया । विवेचना उपरांत पुलिस द्वारा आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया।

इस अभियोग में स्थानीय पुलिस एवं मॉनिटरिंग सैल द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी की गयी एवं अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई, जिसके परिणामस्वरुप आज दिनांक 07.06.2024 को मा0 न्यायालय स्पेशल पॉक्सो एक्ट द्वारा मु0अ0सं0 155/23 धारा 376/511 भादवि व 10 पॉक्सो अधिनियम के अभियुक्त शारिक पुत्र राशिद निवासी ग्राम रगडपुरा थाना किरतपुर जनपद बिजनौर को 06 वर्ष के कठोर कारावास व 25,000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

उक्त अभियोग श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान **"ऑपरेशन कन्विक्शन"** के अन्तर्गत मा0 न्यायालय में सशक्त एवं प्रभावी पैरवी कर अपराधियों को अधिकाधिक सजा दिलाये जाने हेतु चिन्हित अभियोगों में सम्मिलित था।

दोषसिद्ध अभियुक्त का नाम पताः-

1- शारिक पुत्र राशिद निवासी ग्राम रगडपुरा थाना किरतपुर जनपद बिजनौर।

घटना के संबंध में तत्समय दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित खबरें।

दुष्कर्म करने का प्रयास किया

किरतपुर। ईंट भट्टे पर मजदूरी कर रहे परिवार की विकलांग किशोरी के साथ दुष्कर्म करने का प्रयास किया गया। किशोरी के शोर मचाने पर आरोपी युवक फरार हो गया। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर ली है। थाना क्षेत्र के एक ग्राम स्थित भट्ठे पर थाना मंडावर के एक ग्राम का अनुसूचित जाति का परिवार ईंट पथाई का कार्य करता है। बृहस्पतिवार की सुबह दस बजे उनकी विकलांग किशोरी भट्ठे के पास बने शौचालय में गई। तो वहां घूम रहे एक युवक द्वारा उसके साथ दुष्कर्म करने का प्रयास किया गया। किशोरी द्वारा शोर मचाने पर भट्ठे पर मजदूरी कर रहे मजदूर भाग कर गए तो युवक भाग गया। कोतवाल ने बताया कि पीड़िता के पिता की तहरीर पर पॉक्सो और एससी एक्ट में आरोपी शारिक निवासी ग्राम रंगड़पुरा के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। संवाद

दिव्यांग किशोरी से दुष्कर्म का आरोप

संवाद किरतपुर: भट्ठे पर मजदूरी कर रहे परिवार की दिव्यांग किशोरी के साथ दुष्कर्म करने का मामला चर्चाओं में है। किशोरी के शोर मचाने पर आरोपित युवक भाग निकला। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर ली है। थाना क्षेत्र के एक ग्राम में स्थित भट्ठे पर थाना मंडावर के एक ग्राम का अनुसुचित जाति का एक परिवार ईंट पथाई का कार्य करता है। गुरुवार की सुबह दस बजे उनकी 13 वर्षीय दिव्यांग किशोरी भट्ठे के पास बने शौचालय में गई थी। वहां घूम रहा एक युवक उसके साथ दुष्कर्म करने लगा। किशोरी द्वारा शोर मचाने पर भट्ठे पर काम कर रहे श्रमिक भागकर आए तो युवक भाग गया। पिता ने तहरीर देकर कार्यवाही की मांग की है।

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट–थाना कोतवाली शहर दिनांक 07.06.2024

थाना कोतवाली शहर पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 1232/23 धारा 307/436/452/323/324/325/34/504/506 भादवि में वांछित अभियुक्ता को किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण–

दिनांक 09.12.2023 को वादिनी श्रीमती रेशमा पत्नी श्री शराफत निवासी भोगनवाला थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर ने थाना कोतवाली शहर पर तहरीर दी कि अभियुक्तगण 1.इरम पुत्री रियासत 2.रियासत पुत्र यामीन 3.शहिबा पुत्री रियासत निवासीगण ग्राम भोगनवाला थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर 4. रूबी पत्नी अब्बास नि0 हरियावाला थाना कोतवाली देहात जनपद बिजनौर द्वारा वादिनी के घर में घुसकर गाली गलौच करते हुये मारपीट करना व जान से मारने की धमकी दी। तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली शहर पर मु0अ0सं0 1232/23 धारा 452/436/323/324/504/506 भादवि पंजीकृत किया गया। विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान अभियोग में धारा 307/325/34 भादवि की वृद्धि की गयी।

कार्यवाही–

जनपद में अपराध की रोकथाम व वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 07.06.2024 को थाना कोतवाली शहर पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्ता इरम पुत्री रियासत निवासी ग्राम भोगनवाला थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया। विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता–

1.इरम पुत्री रियासत निवासी ग्राम भोगनवाला थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–

1.उ0नि0 संदीप पंवार थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर।
2.आरक्षी 2061 संदीप थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर।
3.आरक्षी 1860 सुनील थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर।
4.महिला आरक्षी 1068 सरिता थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर।

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट– थाना धामपुर   दिनॉक 07.06.2024

थाना धामपुर पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 265/24 धारा 379/411 भादवि से संबंधित अभियुक्त को चोरी की गयी मोटरसाइकिल सहित किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण–

दिनांक 06.06.2024 को वादी श्री चन्द्रभान सिंह पुत्र श्री हरस्वरूप सिंह निवासी ग्राम जैतरा थाना धामपुर जनपद बिजनौर ने थाना धामपुर पर तहरीर दी कि अभियुक्त विपिन पुत्र रामकुमार निवासी गाम पाडली बसेडा थाना धामपुर जनपद बिजनौर को वादी की मोटरसाइकिल टी0वी0एस0 एक्स0एल0–100 को चोरी करते हुये पकड लिया तथा थाना धामपुर पुलिस के सुपुर्द किया गया। तहरीर के आधार पर थाना धामपुर पर मु0अ0सं0 265/24 धारा 379/411 भादवि पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही–

जनपद में अपराध की रोकथाम व चोरी में संलिप्त अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 07.06.2024 को थाना धामपुर पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 265/24 धारा 379/411 भादवि से संबंधित अभियुक्त विपिन पुत्र रामकुमार निवासी ग्राम पाडली बसेडा थाना धामपुर जनपद बिजनौर को चोरी की गयी मोटरसाइकिल टी0वी0एस0 एक्स0एल0–100 सहित गिरफ्तार किया गया। विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता–

1.विपिन पुत्र रामकुमार निवासी ग्राम पाडली बसेडा थाना धामपुर जनपद बिजनौर।

बरामदगी का विवरण–

1. एक मोटरसाइकिल टी0वी0एस0 एक्स0एल0–100

जनपद बिजनौर

प्रेस नोटः- थाना धामपुर दिनांक 07.06.2024

थाना धामपुर पुलिस ने वांरटी अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

कार्यवाहीः-

जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांरटी / वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 07.06.2024 को थाना धामपुर पुलिस द्वारा वांरटी अभियुक्त बुरहान पुत्र निसार अहमद निवासी मौ0 इस्लामाबाद कॉलोनी बन्दूकचियान थाना धामपुर जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया। विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

बुरहान पुत्र निसार अहमद निवासी मौ0 इस्लामाबाद कॉलोनी बन्दूकचियान थाना धामपुर जनपद बिजनौर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. उ0नि0 श्यामपाल सिंह थाना धामपुर जनपद बिजनौर।
2. हे0का0 201 भूप सिंह थाना धामपुर जनपद बिजनौर।

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट–थाना नूरपुर दिनॉक 07.06.2024

थाना नूरपुर पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 261/23 धारा 323/504/506/406/420/467/468/471/120बी भादवि में वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण–

दिनांक 28.06.2023 को वादी श्री नेमीशरण पुत्र चिरंजी सिंह नि0 ग्राम बाखराबाद थाना नूरपुर जनपद बिजनौर के साथ अभियुक्तगण द्वारा षडयन्त्र रचकर धोखाधडी करते हुए नौकरी लगवाने के नाम पर फर्जी व कूटरचित दस्तावेज तैयार कराकर फर्जी जोईनिंग लैटर देकर वादी से करीब 08 लाख रुपये ले लेना व पैसे वापस मांगने पर वापस न देना व गाली गलौच कर लाठी डण्डों से मारपीट करना तथा जान से मारने की धमकी देने के संबंध में थाना नूरपुर पर मु0अ0सं0 261/23 धारा 323/504/506/406/420/467/468/471/120बी भादवि बनाम 1.आशू पुत्र ओमपाल सिंह 2.विरेन्द्र विश्वकर्मा 2.नरेश पुत्र रघुवीर सिंह व 02 अज्ञात पंजीकृत कराया गया।

कार्यवाही–

जनपद में अपराध की रोकथाम व वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 07.06.2024 को थाना नूरपुर पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त नरेश सिसोदिया पुत्र श्री रघुवीर सिंह निवासी ग्राम खूंटखेडा थाना कांठ जनपद मुरादाबाद को गिरफ्तार किया गया। शेष अभियुक्तगण की गिरफ्तारी के प्रयास जारी है। विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता–

1.नरेश सिसोदिया पुत्र श्री रघुवीर सिंह नि0 ग्राम खूंटखेडा थाना कांठ जनपद मुरादाबाद।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–

1.उ0नि0 उमेश चन्द्र थाना नूरपुर जनपद बिजनौर।

2.आरक्षी 1588 राहुल कुमार थाना नूरपुर जनपद बिजनौर।

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट– थाना नूरपुर दिनॉक 07.06.2024

थाना नूरपुर पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 228/24 धारा 379/411 भादवि में वांछित 02 अभियुक्तों को घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल व चोरी किये गये आभूषण सहित किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण–

दिनांक 04.06.2024 को वादिनी श्रीमती ललिता चौहान पत्नी पंकज कुमार निवासी ग्राम भैंसा मिलक थाना शिवालाकलां जनपद बिजनौर ने थाना नूरपुर पर तहरीर दी कि अज्ञात अभियुक्त द्वारा वादिनी के पर्स से एक सोने की चैन चोरी कर ली तथा पीछा करने पर अपाची मोटरसाइकिल से फरार हो गया। तहरीर के आधार पर थाना नूरपुर पर मु0अ0सं0 228/24 धारा 379 भादवि बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया। विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान अभियोग में अभियुक्तगण 1.चांद मोहम्मद पुत्र हाजी शरीफ निवासी ग्राम ताजपुर थाना नूरपुर जनपद बिजनौर 2.फैजान उर्फ बिट्टू पुत्र शहीद अहमद निवासी मौ0 पटवारियान ताजपुर थाना नूरपुर जनपद बिजनौर के नाम प्रकाश में आये।

कार्यवाही–

जनपद में अपराध की रोकथाम व चोरी में संलिप्त अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 07.06.2024 को थाना नूरपुर पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्तगण 1.चांद मोहम्मद पुत्र हाजी शरीफ निवासी ग्राम ताजपुर थाना नूरपुर जनपद बिजनौर 2.फैजान उर्फ बिट्टू पुत्र शहीद अहमद निवासी मौ0 पटवारियान ताजपुर थाना नूरपुर जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगण के कब्जे से घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल अपाची रजि नं0– यूपी 20 बीए 6231 व चोरी किया गया पीली धातु का लॉकेट बरामद किया गया। बरामदगी के आधार पर अभियोग में धारा 411 भादवि की वृद्धि की गयी। विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता–

1.चांद मोहम्मद पुत्र हाजी शरीफ निवासी ग्राम ताजपुर थाना नूरपुर जनपद बिजनौर
2.फैजान पुत्र शहीद अहमद नि0 मौ0 पटवारियान ताजपुर थाना नूरपुर जनपद बिजनौर

बरामदगी का विवरण–

1– घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल अपाची रजि नं0– यूपी 20 बीए 6231.

2– एक लॉकेट पीली धातु ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–

1–उ0नि0 मौ0 यासीन थाना नूरपुर जनपद बिजनौर।

2–मुख्य आरक्षी 138 सचिन मलिक थाना नूरपुर जनपद बिजनौर।

3–आरक्षी 1287 नीरज पंवार थाना नूरपुर जनपद बिजनौर।

4–आरक्षी 2419 विकास कुमार थाना नूरपुर जनपद बिजनौर।

5–आरक्षी 11 गौरव तोमर थाना नूरपुर जनपद बिजनौर।

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना नजीबाबाद **दिनांक – 07.06.2024**

थाना नजीबाबाद पुलिस ने 02 अभियुक्तों को चोरी किये गये आभूषण व एलईडी टीवी सहित किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 01.06.2024 को वादी श्री विकास पुत्र श्री दयाराम निवासी ग्राम शाहपुर उर्फ खैरूल्लापुर थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर ने थाना नजीबाबाद पर तहरीर दी कि दिनांक 27.05.2024 की रात्रि में अभियुक्तगण 1.अमित पुत्र जगदीश 2.रणवीर पुत्र कुमर 3.बीना पत्नी रणवीर 4.राकेश पुत्र कुमर 5.अशोक पुत्र कुमर निवासीगण ग्राम शाहपुर उर्फ खैरूल्लापुर थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर ने वादी के घर से सोने–चाँदी के जेवर, 37000 /- रूपये की नगदी तथा एक एलईडी 32 इंच चोरी कर ली। तहरीर के आधार पर थाना नजीबाबाद पर मु0अ0सं0 281/2024 धारा 380 भादवि बनाम अमित आदि उपरोक्त कुल 05 नफर उपरोक्त पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही –

जनपद में अपराध की रोकथाम एवं चोरी/नकबजनी की घटनाओं के अनावरण हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना नजीबाबाद पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्तगण 1.राकेश पुत्र कुमर 2.अमित पुत्र जगदीश निवासीगण ग्राम शाहपुर उर्फ खैरूल्लापुर थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगण की निशादेही पर चोरी गयी 02 जोडी पाजेब (सफेद धातु), 01 कमर का कूल्हा (सफेद धातु), 02 गले के पैन्डिल (सफेद धातु), 02 पंचागले (सफेद धातु), 01 नोज पिन (पीली धातु), 02 कान की बाली (पीली धातु) व एक एलईडी टीवी बरामद की गयी। बरामदगी के आधार पर अभियोग में धारा 411 भादवि की वृद्धि की गयी। विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता –

1.राकेश पुत्र कुमर निवासी ग्राम शाहपुर उर्फ खैरूल्लापुर थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर

2.अमित पुत्र जगदीश निवासी ग्राम शाहपुर उर्फ खैरूल्लापुर थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर

बरामदगी –

02 जोडी पाजेब (सफेद धातु)

01 कमर का कूल्हा (सफेद धातु)

02 गले के पैन्डिल (सफेद धातु)

02 पंचागले (सफेद धातु)

01 नोज पिन (पीली धातु)

02 कान की बाली (पीली धातु)

एक एलईडी टीवी

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1-उ0नि0 श्री जोगेन्द्र बैंसला थाना नजीबाबाद बिजनौर

2-उ0नि0 श्री अनीस अहमद थाना नजीबाबाद बिजनौर

3-कां0 1161 सुनील कसाना थाना नजीबाबाद बिजनौर

BIJNOR POLICE

सर्विलांस सेल

सर्विलांस सेल जनपद बिजनौर ने विगत 03 माह में 137 गुमशुदा मोबाइल फोन किये बरामद –

सर्विलांस सेल जनपद बिजनौर द्वारा विभिन्न थाना क्षेत्रान्तर्गत गुमशुदा मोबाइल फोन के प्राप्त प्रार्थना पत्रों पर कार्यवाही करते हुए विगत 03 माह में 137 गुमशुदा मोबाइल फोन कीमत (लगभग 32 लाख रुपये) को बरामद किया गया।

पुलिस अधीक्षक, जनपद बिजनौर द्वारा पुलिस लाइन सभागार कक्ष में सर्विलांस सेल द्वारा बरामद किए गए 137 मोबाइल फोन (कीमत लगभग 32 लाख रुपये) को उनके स्वामियों को सुपुर्द किया गया तथा मोबाइल मिलने पर आवेदकों द्वारा प्रसन्नता व्यक्त करते हुए बिजनौर पुलिस की भूरि-भूरि प्रशंसा की गई।